हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राजस्व आवेदन संख्या 677/2024 अनवान रामाराम बनाम लुम्भाराम वगैराह

आदेश

25/08/2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी मौजा नया बाटाडू पटवार हल्का हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1413/1409 रकबा 1.7204 हैक्टेयर, भूमि के अभिलिखित खातेदारी हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात् पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, जो उचित प्रतीत होता है।

अतः मौजा नया बाटाडू पटवार हल्का हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1413/1409 रकबा 1.7204 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पाच [illegible] रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर [illegible] की जाएगी। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:53:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर